रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940
No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 110(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अनुभाग अधिकारी, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**,** अनुभाग अधिकारी**,** सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम**,** 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा**. - इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**,** —

   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव अभिप्रेत है;

   (ख) "उपलब्ध रिक्ति" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;

   (ग) "निर्णायक तारीख" से रिक्ति वर्ष की जनवरी मास की पहली तारीख अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है;

(घ) "परीक्षा" से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) "भर्ती वर्ष" से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होंगे जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं।

3. **पात्रता की शर्तें.** - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु0) में स्तर-7 में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी और वैयक्तिक सहायक, जिसने कम से कम पांच वर्ष की कुल अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो जिसमें उस वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर में कम से कम चार वर्ष की निरन्तर और नियमित सेवा भी सम्मिलित हो और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (35,400-112400 रु0) में स्तर-6 में सुरक्षा पर्यवेक्षक जिसने कम से कम सात वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है जिसमें वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर में कम से कम छह वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा भी सम्मिलित हो और जिसने सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है और निर्णायक तारीख को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य रखता हो, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

(2) पात्रता संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए वही बनी रहेगी।

टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन श्रेणी में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

टिप्पणी 2: इस नियम के उद्देश्य के लिए "अनुमोदित सेवा" की अवधि की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:

(i) सीधी भर्ती से उस श्रेणी में चयनित किसी अधिकारी की बाबत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होगीं जिसके अंतर्गत अनुपस्थिति की अवधि या अवधियां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता, यदि वह उस वर्ष जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती वर्ष के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता।

(ii) विभागीय परीक्षा के माध्यम से उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी की बाबत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होगीं जिसके अंतर्गत् अनुपस्थिति की अवधि या अवधियां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता, यदि वह उस भर्ती वर्ष, जिसके रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होती या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता।

(iii) निम्नतर श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी की बाबत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होगीं जिसके अंतर्गत् ऐसी अनुपस्थिति की अवधि य़ा अवधियां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता, यदि वह उस भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होती या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता:

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति के संबंध में कार्यभार ग्रहण के नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब है, वहां ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी गलती के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे जेष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

4. परीक्षा का आयोजन. – (1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की घोषणा करते समय परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा ।

(2) परीक्षा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी, जिसे भर्ती वर्ष की 31 मार्च से पूर्व आयोजित किया जा सकेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या यदि कोई हो, अधिसूचना में स्पष्टतः उपदर्शित की जाएगी ।

5. परिणाम. - (1) परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के नामों की एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी ।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे ।

(3) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।

(4) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों क़े भरे जाने तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख क़े 18 मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवृत रहेगी जब तक कि अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

6. नियुक्ति. – किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन संबंधी कोई मामला लंबित नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

7. पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची से नाम का हटाया जाना. - (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है और जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा ।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय सरकार के अन्य काडर बाह्य पद या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे अनुभाग अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपनी ड्यूटी पुनः प्रारम्भ नहीं करता है:

परंतु यह कि प्रोफार्मा प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जा सकेगा ।

8. **प्रतिरुपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति**. – कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित का दोषी है या उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है –

(i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना ;या

(ii) प्रतिरुपण ;या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण कराना ; या

(iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसमें गड़बड़ी की गई हो ; या

(v) ऐसे कथन करना, जो सही नहीं हैं या मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छुपाते हैं; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या

(ix) खंड (i) से खंड (viii) तक में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों के सभी या कोई अन्य कार्य, यथास्थिति, करने का प्रयत्न करना या करने को दुष्प्रेरित करना;

दांडिक कार्यवाही के अतिरिक्त, निम्नलिखित के दायित्वाधीन हो सकेगा –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से निरर्हित किया जाना; या

(ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई :

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी—

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाए जो वह उस प्रयोजन से देना चाहता है; और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन को उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में संचालित की जाएगी, अर्थात् : —

भाग – 1

लिखित परीक्षा में अधिकतम 500 अंक होंगे । लिखित परीक्षा का विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आबंटित अधिकतम अंक और अनुज्ञात की गई समय-सीमा निम्नानुसार होगी, अर्थात् : —

प्रश्न पत्र सं.	विषय	प्रश्न पत्र के प्रकार	अधिकतम अंक	समय
I	टिप्पण और प्रारूपण, सार लेखन ।	व्याख्यात्मक	200	3 घंटे

II	सेवाओं की संबंधित श्रेणियों की अपेक्षाओं को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और पद्धति और सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 और ई-कार्यालय ।	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
III	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकार की मशीनरी का सामान्य ज्ञान, संसद में प्रक्रिया और पद्धति और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे

1. परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम :

क. प्रश्न पत्र- I

अभ्यर्थियों से विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण और लेखांश से सारलेखन तैयार करना अपेक्षित है ।

ख. प्रश्न पत्र- II

भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में रीति और प्रक्रिया के कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को गहन और व्यापक बनाना आशयित है । सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली का विस्तृत ज्ञान अर्थात्, आचरण नियमावली, छुट्टी नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली इत्यादि की परीक्षा ली जाएगी । निम्नलिखित संदर्भ पुस्तकों (जो हालाकि सम्पूर्ण नहीं हैं) की सिफारिश की जाती है :-

(i) कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल;

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया पर नोट;

(iii) कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी संघ के अधिकारिक प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेश पुस्तिका;

(iv) मौलिक और पूरक नियमावली;

(v) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972;

(vi) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964;

(vii) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली,1965;

(viii) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली,1972;

(ix) सामान्य वित्तीय नियमावली,1963 का संकलन (संशोधित और बृहत);

(x) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978

(xi) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम 2013; और

(xii) ई-कार्लालय ।

ग. प्रश्न पत्र -III

इस प्रश्न पत्र में वर्तमान समय में रुचि और महत्व का विषय शामिल होगा । प्रश्नों को सरकारी योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख विकास योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के समसमायिक घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता के विस्तृत प्रमुख विशेषताओं के ज्ञान का प्रशिक्षण करने के लिए बनाया जाएगा ।

निम्नलिखित पहलुओं के विस्तृत ज्ञान की भी अपेक्षा की जाएगी :

(i) भारतीय संविधान का सिद्धांत ;

(ii) लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली ;

(iii) भारत सरकार की मशीनरी का संगठन- मंत्रालयों या विभागों और संबंध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनाम और विषयों का आबंटन तथा पारस्परिक संबंध; और

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

3. **गलत उत्तरों के लिए शास्ति (**वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न पत्रों में**). -** वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर के लिए शास्ति (प्रतिकूल अंकन) होगा, जो निम्नानुसार है:

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एक गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए नियत किए गए अंकों का एक चौथाई (0.25) शास्ति के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर के रूप में माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही हो और उस प्रश्न के लिए ऊपर जैसी ही शास्ति होगा।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं होगी।

4. अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी) में टिप्पण और प्रारूपण, सारलेखन पेपर के उत्तर देने का विकल्प दिया जाता है। सभी तीनों प्रश्न पत्र अथवा परीक्षा पुस्तिकाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएंगी।

टिप्पण 1: अभ्यर्थियों की हिंदी (देवनागरी) में टिप्पण और प्रारूपण, सारलेखन पेपर के उत्तर विकल्प के व्यवहार्य की वांछा आवेदन पत्र में ऐसा करने के अपने आशय को दर्शित करना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि वे पूर्वोक्त पत्र अंग्रेजी में देंगे । एक बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई एक के अलावा अन्य भाषा में दी गई परीक्षा के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

टिप्पण 2: हिंदी (देवनागरी) में प्रश्न पत्र का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी यदि वे ऐसी वांछा करते हैं, हिंदी संस्करण के अलावा यदि कोई हो तकनीकी शर्तों के विवरण के कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी संस्करण दे सकते हैं।

टिप्पण 3: यदि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा इंगित माध्यम से इतर माध्यम का चयन किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

5. भाग 1 में तीन विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम अर्हता अंक पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए और कुल अंक पैंतालीस प्रतिशत होना चाहिए।

6. केवल पृष्ठीय ज्ञान के लिए अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।

7. वर्णनात्मक पत्र में अधिकतम अंक का पांच प्रतिशत तक की कटौती अस्पष्ट हस्तलेखन के लिए की जाएगी।

8. लिखित उत्तरों में कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

9. जहां तक किसी अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता का सम्बन्ध है वहां पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय, परीक्षा के लिए अन्यथा प्रवेश करने के लिए अंतिम होगा।

10. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी तीन पत्रों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक है। मंत्रालय ने परीक्षा के सभी या किन्हीं विषयों में न्यूनतम अर्हता अंक को नियत करने के लिए निदेशित किया है।

11. अभ्यर्थियों को पेपर-I का उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्ररूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

भाग – 2

1. वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों का निर्धारण :

(क) यह भाग अधिकतम 100 अंकों का होगा ।

(ख) अभ्यर्थियों के वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों का प्रोन्नति के लिए संगणित की गई सेवा अवधि हेतु संवीक्षा की जाएगी और तद्नुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अंक आबंटित किए जाएंगे ।

(ग) कार्य अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों में न्यूनतम अर्हता अंक अनुभाग अधिकारी के पद की प्रोन्नति के लिए विहित किए गए मानक से कम नहीं होगा।

2. पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) में संदर्भित विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1)	अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- अध्यक्ष;
(2)	संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- सदस्य;
(3)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इतर भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन से एक उप-सचिव या समतुल्य अधिकारी	- सदस्य ।

[फा. सं. 1(4)/2014-पी.III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2019

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information Technology, Section Officer Departmental Competitive Examination Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Section Officer in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:—

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**. – In these rules unless the context otherwise requires, —

(a) “appointing authority” means the Secretary to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) “available vacancy” means a vacancy in the post of Section Officer’s grade in the Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;

(c) “crucial date” means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;

(d) “examination” means the limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Section Officer held in the manner specified in the Schedule;

(e) “recruitment year” means the period commencing from the 1st day of January and ending on the 31st day of December of the same year;

(f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(g) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings respectively as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

3. **Conditions of eligibility**. – (1) Assistant Section Officer and Personal Assistant in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered not less than five years approved service which should include at least four years regular and continuous service in that level in the pay matrix and Security Supervisor in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered not less than seven years approved service which should include at least six years regular and continuous service in that level in the pay matrix and have successfully completed probation period and possessing a Bachelor’s Degree from a recognised university or equivalent on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination.

(2) The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 1: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the recruitment year, as the residency period will be counted for promotion.

Note 2: For the purposes of this rule, the period of ‘approved service’ shall be calculated in the following manner, namely:—

(i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

(ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;

(iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

4. **Holding of the examination**. – (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination.

(2) The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule which may be held before the 31st March of the recruitment year.

(3) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the notification.

5. **Results**. – (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I and II of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year.

(2) The standards of evaluation for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.

(3) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).

(4) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or upto a period of 18 months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.

6. **Appointment**. – The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the Appointing Authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

7. **Removal of name from merit list on resignation, etc**. – (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any post mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.

(2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another Department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any post mentioned in rules 3, shall not be appointed as Section Officer till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in this behalf from time to time.

8. **Penalty for impersonation or other misconduct.** – A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of –

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonation; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable –

(a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or

(b) to disciplinary action, under the appropriate rules:

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

9. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following two parts, namely:—

Part I

1. Written examination shall carry a maximum of 500 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time limit allowed shall be as follows, namely: —

Paper No.	Subject	Type of Paper	Maximum Marks	Time
I	Noting and Drafting, Precis Writing	Descriptive	200	3 hours
II	Procedure and Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and e-office.	Objective	150	2 hours
III	General Studies and General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament and the Right to Information Act, 2005.	Objective	150	2 Hours

2. Syllabus for examination:

A. Paper-I

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and precis from a passage.

B. Paper-II

The paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, Travelling Allowance Rules etc. will be tested. The following Reference Books (which are however not exhaustive) are recommended:-

(i) Manual of office procedure;

(ii) Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management;

(iii) Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension Ministry;

(iv) Fundamental and Supplementary Rules;

(v) The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972;

(vi) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

(vii) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(viii) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(ix) Compilation of the General Financial Rules, 1963 (Revised and Enlarged);

(x) Delegation of Financial Power Rules, 1978;

(xi) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013; and

(xii) e-office.

C. Paper-III

This paper will cover subject of interest and importance in the present day. Questions will be set to test knowledge of broad salient features of the Government Planning, Indian Economy and major Development Schemes as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected:

(i) The principles of the Constitution of India;

(ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and Rajya Sabha;

(iii) The organization of the machinery of Government of India – designation and allocation of subjects between Ministries, Departments, and attached or subordinate offices and their relation inter-se; and

(iv) The Right to Information Act, 2005.

3. **Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers). -** There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective question papers as under—

(i) There will be four alternatives for the answer to every question and for each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty;

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question;

(iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers or test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in the application form otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for change shall be entertained later on. No credit shall be given for examination taken in a language other than the one opted for by the candidate.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

5. The minimum qualifying marks in each of the three subjects in Part I should be thirty-five per cent and aggregate marks should be forty-five per cent.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto five per cent. of the maximum marks in the descriptive paper will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for neat and methodical expression of ideas with due economy of words, in the descriptive paper.

9. The decision of the Central Government with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

10. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying the examination. The Ministry has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

11. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1,2,3,4,5,6 etc.) while answering paper-I.

Part II

1. Assessment of Annual Performance Appraisal Reports:-

(a) This part shall carry a maximum of 100 marks.

(b) The Annual Performance Appraisal Reports of the candidates shall be scrutinised for the service period reckoned for promotion and marks will be accordingly allotted by the Departmental Promotion Committee.

(c) The minimum qualifying marks in the Annual Performance Appraisal Reports of each year during the residency period will not be lower than the benchmark prescribed for promotion to the post of Section Officer.

2. The Departmental Promotion Committee referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 shall consist of the following persons, namely: ─

(1)	Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology	-Chairman;
(2)	Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology	- Member;
(3)	One Deputy Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technolog	- Member.

[F.No. 1(4)/2014-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.15 10:20:03 +05'30'